

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र./एफ-569/1/सा.प्र.वि./2022/2011

भिलाई, दिनांक 13-1-2022

// आदेश //

विघटित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण भिलाई के प्रस्ताव क्रमांक 20 में प्राधिकरण समिति की बैठक दिनांक 14.02.1991 में निर्णय लिया गया है, कि प्राधिकरण के एल.एस.जी.डी. डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण नियमित/कार्यभारित कर्मचारियों का दो वेतनवृद्धि देने की स्वीकृति इस शर्त के आधार पर दी जाती है, कि वेतनवृद्धि की पात्रता उन्हीं कर्मचारियों को होगी, जो नियमित वेतनमान के अन्तर्गत कार्यरत है अर्थात् जिनका नियमित वेतनमान है तथा दो वेतनमान वृद्धि उन्हीं कर्मचारियों को दी जावे जो नियमानुसार बंध पत्र प्रस्तुत करें यदि शासन द्वारा इस बाबत कोई आपत्ति आती है तो वे उस राशि को एकमुश्त जमा करवा देंगे।

अतः विघटित म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक/7099/5020/XYIII-U भोपाल, दिनांक 21.07.1960 एवं अवर सचिव, छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश दिनांक 17.06.2008 के अनुसार नगरीय निकायों के कर्मचारियों को एल.एस.जी.डी. डिप्लोमा उत्तीर्ण होने के पश्चात् परीक्षा के अंतिम तिथि 29.08.2021 से श्री ओंकार प्रसाद यादव, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को दो अग्रिम वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

भिलाई, दिनांक 13-1-2022

पू.क्र./एफ-569/1/सा.प्र.वि./2022/2012
प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. उप संचालक, छ.ग. राज्य संपरीक्षा, राजनांदगांव को सूचनार्थ।
4. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. आंतरिक अंकेक्षण, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रभारी स्थापना लिपिक नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
8. प्रभारी लिपिक डाटा सेंटर, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं निगम की वेबसाइट में अपलोड हेतु।
9. श्री ओंकार प्रसाद यादव, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।

अपर आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई